रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270881
CG-DL-E-12032026-270881

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947
No. 170]	NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026

सा.का.नि. 176(अ).— केंद्रीय सरकार, भूमिगत रेल (संकर्म संन्निर्माण) अधिनियम, (1978 का 33) की धारा 44 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेट्रो रेल (स्टेशनों का नामकरण या पुन: नामकरण) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ -** (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) “अधिनियम” से भूमिगत रेल (संकर्म संन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) अभिप्रेत है;

(ख) “सक्षम प्राधिकारी” से केंद्रीय सरकार के उस मंत्रालय या विभाग का प्रभारी मंत्री अभिप्रेत है, जो मेट्रो रेल या नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का व्यौहार कर रहे हैं; और

(ग) “स्टेशन” से मेट्रो रेलवे या नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के स्टेशन अभिप्रेत हैं।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किंतु अधिनियम में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ, अधिनियम में दिए गए उनके अर्थों के अनुरूप होंगे।

3. स्टेशनों का नामकरण या पुन: नामकरण– (1) अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी महानगर या महानगर क्षेत्र या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित मेट्रो रेल या नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली के किसी स्टेशन का नामकरण या पुन: नामकरण यथास्थिति संबद्ध राज्य सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार, के अनुमोदन

के बिना नहीं किया जाएगा। यह ऐसी राज्य सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित समिति, जिसमें निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।

(2) स्टेशनों का नामकरण या पुन: नामकरण करते समय, उक्त समिति सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व, समान नामों से बचना, स्थानीय भावना, व्यावहारिकता (उच्चारण या अवस्थिति), और विवाद से बचते हुए प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व (नेता या देवता) को संतुलित करने, स्पष्टता सुनिश्चित करने और क्षेत्र की पहचान की सुसंगतता सुनिश्चित करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

(3) राज्य सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त समिति की सिफारिशों को अनुमोदन देने के पश्चात, इस निमित अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित करने से पूर्व मेट्रो रेल या नमो भारत क्षेत्रीय द्रुत परिवहन प्रणाली के स्टेशन का नामकरण या पुन: नामकरण करने का प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।

[फा. सं. के-14011/16/2025-एमआरटीएस-II]

जयदीप, विशेष कार्य अधिकारी (यूटी)

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2026

G.S.R. 176(E).—In exercise of powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 44 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement**. - (1) These rules may be called the Metro Railways (Naming or Renaming of stations) Rules, 2026**.**

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978);

(b) "Competent Authority" means the Minister-in-charge of the Ministry or Department of the Central Government dealing with metro railway or Namo Bharat Regional Rail Transit System (RRTS); and

(c) "station" means stations of metro railway or Namo Bharat Regional Rail Transit System (RRTS).

(2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Naming or renaming of stations. – (1) No station of metro rail or Namo Bharat Regional Rail Transit System in any metropolitan city or metropolitan area or the National Capital Region specified under sub-section (3) of section 1 of the Act shall be named or renamed without the approval of the concerned State Government or the Government of the National Capital Territory of Delhi, as the case may be, on the basis of the recommendation of a Committee constituted *by such State Government or the Government of the National Capital Territory of Delhi* for the purpose consisting of Member of Parliament from the constituency, Member of Legislative Assembly and representatives of the local bodies.

(2) While naming or renaming the stations, the said Committee shall consider various aspects such as cultural heritage, historical and geographical significance, avoiding similar names, local sentiment, practicality (pronunciation or location), and balancing symbolic representation (leaders or deities) by avoiding controversy, ensuring clarity and relevance to the area's identity.

(3) The State Government or the Government of the National Capital Territory of Delhi, after approval of the recommendations of the said Committee, shall submit the proposal for naming or renaming of the station of metro rail or Namo Bharat Regional Rail Transit System to the Central Government for approval of the Competent Authority before publishing the notification in this behalf in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/16/2025-MRTS-II]

JAIDEEP, Officer on Special Duty (UT)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.12 16:10:20 +05'30'